न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाआर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः–160 /2021 दर्ज तिथिः–26.11.2021
GCMS N. -2021/377

1. श्री नारायण पिता हेमराज जी जाति सालवी आयु 50 साल निवासी अरनोदा निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मीनारायण पिता पेमा उर्फ प्रेमचन्द जी जाति सालवी आयु 55 वर्ष निवासी अरनोदा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थी अधिवक्ताः – श्री देवीलाल गायरी
अप्रार्थी अधिवक्ता–03 पेरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा
अप्रार्थी अधिवक्ता –01 स्वयं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः–12.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एंव स्वामित्व, आधिपत्य व कब्जे काश्त की आराजीयात ग्राम फुटवाल पटवार हल्का अरनिया जोशी तह. निम्बाहेड़ा में नया खाता संख्या 86 आराजी न० 212 रकबा 0. 5400 हैक्टेयर लगानी 2.70 रुपये स्थित है।

1. यह कि श्री भेरूलाल जी के दो पुत्र पेमा उर्फ प्रेमचन्द एव हेमराज हुए। पेमा उर्फ प्रेमचन्द के देहान्त के बाद उनके वारिस लक्ष्मीनारायण पिता पेमा एवं मु० केशी बाई बेवा पेमा हुए तथा हेमराज जी के वारिस नारायण पिता हेमराज एव मु० धापू बेवा हेमराज है और विरासत से खाता संयुक्त रूप से साबिक आराजी न० 264/121 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रेकॉर्ड मौजा फुटवाल पं.स. अरनिया जोशी तह. निम्बाहेड़ा में चला आ रहा है। इस प्रकार उक्त साबिक आराजी न. में लक्ष्मीनारायण व केशी बाई का 1/2 तथा नारायण व धापू बाई का 1/2 हक हिस्सा शुरू से विरासत से चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:01 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि अभी हाल ही में भू–प्रबंध विभाग कोटा, राजस्थान द्वारा आराजियात की पैमाईश की गई उसके पश्चात उक्त साबिक आराजी न. के नये आराजी न. 212 रकबा 0.5400 है. दर्ज रिकॉर्ड हुए। इसमें भी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 78 में राजस्व रिकॉर्ड पूर्वानुसार सही दर्ज चला आ रहा है लेकिन पैमाईश के बाद जो उक्त आराजी का नया

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

रोटेशन कायम हुआ उसमें हक हिस्सा रिकॉर्ड में गलत अंकित कर दिया गया जिसमें मु. केशी बाई बेवा पेमा और लक्ष्मीनारायण पिता पेमा के 1/3–1/3 यानि 2/3 हक हिस्सा तथा मु. धापू बाई बेवा हेमराज और नारायण पिता हेमराज के 1/6–1/6 हक हिस्सा यानि 2/6 दर्ज रिकॉर्ड कर दिया गया जबकि साबिक आराजी न. में हक हिस्से अनुसार मु. केशी व लक्ष्मीनारायण का 1/2 हक हिस्सा संयुक्त रूप से तथा मु. धापू बाई व नारायण का 1/2 हक हिस्सा दर्ज राजस्व रेकॉर्ड होना चाहिए था। इसमें मु. धापू बाई बेवा हेमराज जी का देहांत हो जाने से हेमराज का सम्पूर्ण हक हिस्सा उसके एकमात्र वारिस नारायण पिता हेमराज के नाम ही दर्ज राजस्व रेकॉर्ड किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र के साथ नवीन जमाबंदी की नकल, मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी व धापू बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति साथ संलग्न है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, वकील प्रार्थी/अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम फुटवाल पटवार हल्का अरनियाजोशी के वर्तमान रेकार्ड की जमाबन्दी खाता संख्या 86 खसरा नम्बर 212 रकबा 0.54 हैक्टेयर केशी पत्नि पेमा 1/3 लक्ष्मीनारायण पुत्र पेमा 1/3 नारायण पिता हेमराज 1/6 धापु पत्नि हेमराज 1/6 दर्ज रेकार्ड है। मौके पर केशी पत्नि पेमा 1/4 लक्ष्मीनारायण पिता पेमा 1/4, नारायण पिता हेमराज 1/4 धापु पत्नि हेमराज 1/4 सालवी सा. अरनोदा काबिज कास्त है।

– यह कि ग्राम फुटवाल के ना. सं. 101 से भेरा पिता उम्मा बलाई के फोत उपरान्त विरासत से पेमा, बाबरू, हेमराज, वारिसान बने। परन्तु नामान्तरण पर रिपोर्ट अनुसार बाबरू के लाओलाद फोत होने से पेमा व हेमराज वारिस बने तथा उस वक्त पेमा तथा हेमराज के भी फोत हो जाने से उनके वारिस लक्ष्मीनारायण पिता पेमा व मु. केशी पत्नि पेमा तथा नारायण पिता हेमराज, मु. धापु पत्नि हेमराज का नाम दर्ज हुआ उक्त नामान्तरण 101 का अमल जमाबन्दी खाता संख्या 80 संवत् 2037–2040 पर हुआ परन्तु उस वक्त उनके हिस्से नहीं लिखे गये तब से सेग्रीगेशन पूर्व तक उक्त खातेदारान के नाम बिना हिस्से के चले आ रहे थे।
– यह कि वक्त सेग्रीगेशन सभी खातेदारानों को हिस्से दिये गये जिसमें उक्त खातेदारान के हिस्से लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज हो गये ।
– यह कि मौका स्थिति तथा राजस्व रेकार्ड अनुसार ग्राम फुटवाल पटवार हल्का अरनियाजोशी की जमाबन्दी खाता सं. 86 संवत् 2077–80 में खातेदार पेमा के वारिसान का हिस्सा 1/2 व हेमराज के वारिसान का हिस्सा 1/2 होना चाहिए।
अतः मौका व राजस्व रेकॉर्ड अनुसार ग्राम फुटवाल पटवार हल्का अरनियाजोशी की जमाबन्दी खाता सं. 86 संवत् 2077–80 में वक्त सेग्रीगेशन हुई हिस्से की लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किया जाकर केशी पत्नि पेमा का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/4, धापू पत्नि हेमराज का हिस्सा 1/6 के बजाय 1/4, नारायण पिता हेमराज का हिस्सा 1/6 के बजाय 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता पेमा का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/4 दर्ज किया जाना उचित है।
अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मौका स्थिति मिलान क्षेत्रफल एवं वर्तमान रिकार्ड की जमाबंदी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी कर प्रार्थना स्वीकार किया जाना किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

<u>आदेश है कि</u>

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पूर्व रिकार्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम ग्राम फुटवाल पटवार हल्का अरनियाजोशी की जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता सं. 86 में दर्ज आराजी नम्बर 212 रकबा 0.54 है मे केशी पत्नि पेमा का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/4, धापू पत्नि हेमराज का हिस्सा 1/6 के बजाय 1/4, नारायण पिता हेमराज का हिस्सा 1/6 के बजाय 1/4, लक्ष्मीनारायण पिता पेमा का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/4 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाता है।
तहसीलदार, निम्बाहेड़ा निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 12.05.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अरनियाजोशी में [illegible] को सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:02:01 IST
Reason: SelfAttested

12/5/23

(रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़